राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.5/कोष–बजट/मार्गदर्शन/अलवर/1624-1663 दिनांक : 25/7/2018

कोषाधिकारी
समस्त।

विषयः– दिनांक 01 जुलाई 2018 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में।

संदर्भः– संयुक्त शासन सचिव, वित (राजस्व) विभाग का पत्रांक प.8(2)वित्त/राजस्व/18 दिनांक 17.07.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से कार्मिक विभाग की अ.शा.टीप दिनांक 21.06.2018 की प्रति संलग्न की गई हैं, जिसमें उन राजपत्रित अधिकारियों, जिन्होने अपनी अचल सम्पत्ति विवरण दिनांक 31.05.2018 तक भी ऑनलाईन अपलोड नही किया हैं, को दिनांक 01.07.2018 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नही करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः संदर्भित पत्र मय संलग्नक के प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त की पालना संबंधित आहरण–वितरण अधिकारियों से पूर्ण करवाया जाना तथा उसका प्रभाव संदर्भित वेतन बिलों में जांच कर पारित किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

भवदीया

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः एफ.5/कोष–बजट/मार्गदर्शन/अलवर/1664 दिनांक : 25/7/2018

प्रतिलिपिः संयुक्त शासन सचिव, वित (राजस्व) विभाग, जयपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

अति. निदेशक (कोष एवं बजट)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website-dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- jdp-ta-rj@nic.in
Fax-2742309, Tel- 0141-2743752

43

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

कमांकः प.8(2)वित्त / राजस्व / 18 जयपुर, दिनांकः— 17 JUL 2018

18 JUL 2018
1822406
राजस्थान

निदेशक,
कोष एवं लेखा,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः— 01 जलुाई, 2018 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्मिक विभाग के अशा.टीप क्रमांक प. 13(76)कार्मिक / क—1 / गो.प्र. / 2011 दिनांक 21.06.2018 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(एजाज नबी खान)
संयुक्त शासन सचिव

AD(T&B)

Shri Somani / DD(B)
Pl. see

18/7/18

55

वित्त (राजस्व डिवीजन) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 5299
दिनांक 13.7.18

510

भास्कर ए. सावंत, आई.ए.एस.
Bhaskar A. Sawant, IAS

शासन सचिव, राजस्थान सरकार
Secretary to Govt. of Rajasthan
कार्मिक विभाग
Department of Personnel
शासन सचिवालय, जयपुर -- 302005
Govt. Secretariat, Jaipur - 302 005

अर्द्ध शा.पत्र कमांकः 13(76)का./क-1/गो.प्र./11
जयपुर दिनांकः- 21 JUN 2018

आदरणीय सर,

मैं आपका ध्यान इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13 (76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.12.2017 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसके द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों को निर्दिष्ट किया गया था कि वे अपना अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग-इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE पर ऑन-लाईन भरेगें।

1 जुलाई 2018 को सभी राजपत्रित अधिकारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलना है। आपसे निवेदन है कि आपके अधीन कार्यरत समस्त कोषाधिकारी को निर्देशित करें कि वे उन राजपत्रित अधिकारियों को जिन्होंने अपना अचल सम्पति विवरण दिनांक 31.05.2018 तक भी ऑन-लाईन अपलोड नहीं किया है को 1 जुलाई 2018 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं करें ।

सादर

भवनिष्ठ,

(भास्कर ए. सांवत)

FS(F)
FS(BS)
21(B)
22/6/2018

JSF (Tax)
JSF (Rev)
JSF (Excise)

6639
22/6/18

22 JUN 2018

श्री मुकेश शर्मा
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
वित्त एवं कर आबकारी विभाग
कोष एवं लेखा विभाग

☎ +91-141-2227657 (O) Fax 0141-2227986 http://dop.rajasthan.gov.in